BR-426/21

16-05-26 एक मात्र अभियुक्त की ओर से हाजरी दी गई। बाद पुकारा गया। पुकार पर अभियुक्त अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए। अभियुक्त को उसके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से पुलिस पेपर की आपूर्ति की गई। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा- 341, 323, 324, 325, 307, 498(A), 494, 448, 504, 506 भा० द० वि० के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है। संज्ञानित धाराओं में धारा - 307 भा० द० वि० सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः सम्पूर्ण मूल वाद को दौरा सुपुर्द कर सत्र न्यायालय, सुपौल भेजा जाता है। कार्यालय लिपिक सम्पूर्ण मूल अभिलेख सत्र न्यायालय सुपौल भेजें। वाद दौरा सुपुर्दगी की सूचना विद्वान अभियोजन पदा० को दी गई। अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि अगली तिथि पर सत्र न्यायालय में आरोप गठन हेतु सदेह उपस्थित रहेंगे। दिनांक - 9-7-26 वास्ते सत्र न्यायालय में उपस्थिति हेतु।

P/R/C
16/05/26

commit to court of session

ह०

अनु० न्या० दण्डा०